विचार बिन्दु

एक बात जो मैं दिन की तरह स्पष्ट देखता हूँ यह है कि दुःख का कारण अज्ञान है और कुछ नहीं। –स्वामी विवेकानंद

विश्वविद्यालयों में पेंशन का उलझा हुआ मुद्दा

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार का क्या वैधानिक दायित्व है और सरकार क्या अपना यह दायित्व पूरी तरह निभा पा रही है, यह सवाल आज उठ खड़ा हुआ है क्योंकि सरकार एक तरफ नये-नये विश्वविद्यालय तो स्थापित करती जाती है मगर दूसरी तरफ पहले से चल रहे विश्वविद्यालयों की सुध लेने की उसे फुरसत नहीं है। वहां सेवानिवृत्तियों से खाली हो रहे प्रोफेसरों के पद कैरियर एडवांसमेंट पदोन्नति से भरे जा रहे हैं और नई नियुक्तियों से परहेज़ किया जा रहा है। सरकार को कोई यह समझाने वाला नहीं है कि विश्वविद्यालयों में नया रक्त नहीं आएगा तो उच्च शिक्षा कैसे अपनी अहमियत बनाये रख सकेगी। शासन में बैठे लोग नये विश्व विद्यालय खोल कर राजनैतिक वाह-वाही तो लूटना चाहते हैं किन्तु उच्च शिक्षा में निवेश के लिए वे सरकार की अंटी ढीली नहीं करना चाहते। हालत तो यहां तक है कि सेवानिवृत्त हो रहे विश्वविद्यालय कर्मियों को पेंशन देने के भी उच्च शिक्षा के इन संस्थानों में लाले पड़ रहे हैं। सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय कर्मियों का गुबार पिछले दिनों जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के ऑन लाइन हो रहे दीक्षांत समारोह में फूटते हुए सबने देखा है। मुख्यमंत्री ने अपने लिए सलाहकारों की नियुक्तियां करके जो फौज खड़ी की है उसमें से भी कोई यह सलाह देने वाला नहीं दीखता कि विश्वविद्यालय ऐसे उद्यम नहीं होते हैं जिसमें किये जाने वाले निवेश का प्रतिफल रुपये पैसों में तोला जा सके। वह समय गया जब कोई कुलपति मुख्यमंत्री से मुंह पर कह सकता था कि यदि विश्वविद्यालय के लिए पैसे नहीं हैं तो वे खोले ही क्यों गए हैं। यह भी सच है कि विकास के अन्य क्षेत्र अब भी पिछड़े हैं और बड़ा निवेश मांगते हैं। किन्तु शासन की काबिलियत का पता तो इसी से चलता है कि वह उच्च शिक्षा और अन्य विकास के कामों के निवेश में कैसे संतुलन बनाए रखे। इसमें प्रारम्भिक शिक्षा के लिए तो और भी अधिक निवेश और ध्यान की अपेक्षा स्वाभाविक ही की जाती है। मगर इस समय जो मुद्दा तुरंत हल चाहता है वह है विश्वविद्यालयों, खास कर कृषि विश्वविद्यालयों, के सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन का जिसे लगातार लटकाया जाता रहा है। यह एक ऐसा मानवीय मुद्दा है जो जीवन के संध्याकाल में पहुंच चुके सैकड़ों लोगों के जीवन यापन से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रतिमाह एक निश्चित तारीख तक उनके बैंक खातों में अपने आप पहुंच जाती है वहीं प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्तकर्मी इस सौभाग्य से वंचित हैं। उन्हें पेंशन कब मिलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। कहीं कहीं तो दो-दो तीन-तीन महिनें हो जाते हैं जब उन्हें पेंशन का पैसा मिल पाता है। कई जगह अदालतों से आदेश लाने पड़ते हैं।

समस्या यह है कि विश्विद्यालयों के पास अपने सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन देने का कोई बजट नहीं होता। प्रत्येक विश्व विद्यालय को अपने यहां अलग से पेंशन कोष की व्यवस्था करनी होती है। विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मी इस बात को एक विडंबना बताते हैं कि एक तरफ इन विश्वविद्यालयों के पास अपने सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन के भुगतान के लिए पैसा नहीं है दूसरी तरफ सरकार प्रत्येक से तीन तीन करोड़ रुपये कोविड महामारी के नाम से ले लेती है। राज्य सरकार यह दलील देती रही है कि उसका विश्वविद्यालयों के पेंशन फंड से कोई लेना-देना नहीं हैक्योंकि प्रत्येक विश्वविद्यालय तकनीकी रूप से स्वायत्त है। बीकानेर के कृषि विश्वविद्यालय जिसमें सबसे अधिक साढ़े बारह सौ के करीब सेवानिवृत्त कर्मी हैं अदालतों में गुहार लगा कर कुछ न कुछ राहत पाते रहे हैं मगर बाद में ढाक के तीन पात वाली बात हो जाती है। हालांकि राजस्थान उच्च न्यायालय कह चुका है कि राज्य को विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के नाम पर अपनी आंखें मूंदने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि विश्वविद्यालयों के पास पर्याप्त धनराशि नहीं है, तो राज्य सरकार उनके कर्मियों को पेंशन का भुगतान करने के लिए बाध्य है। हालांकि राज्य सरकार यह दावा करती रही है कि विश्वविद्यालयों की पेंशन योजना में शर्त थी कि विश्वविद्यालय अपने संसाधनों से इस योजना का वित्तपोषण करेंगे। मगर सच यह है कि राज्य सरकार ने 16 अप्रेल 1991 को जो पत्र विश्व विद्यालयों को लिखा उसमें सरकार द्वारा सूचित पेंशन योजना में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। दूसरे, किसी भे विश्वविद्यालय की सिंडिकेट ने ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया।

विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन की जिम्मेवारी सीधे राज्य द्वारा उठाने की कानूनी व्यवस्था कर दी जाए। या फिर बजट में अलग से प्रावधान किया जाकर इस समस्या का स्थायी समाधान किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या के सामने विश्वविद्यालय के कर्मियों की संख्या नगण्य है। परन्तु क्यों मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला जाए।

राज्य सरकार ने अपनी तरफ से 16 अप्रेल 1991 को विश्वविद्यालयों को लिखा था कि उसने विश्वविद्यालयों में पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसी पत्र में उसने विश्वविद्यालयों से कहा था कि वे एक अप्रेल 1990 से सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अपने यहां पेंशन योजना लागू करे। ऐसे में यह स्पष्ट रूप से विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन देने की जिम्मेवारी सरकार की बनती है। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में यह निर्धारित किया गया था कि तत्कालीन कार्यरत शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को पेंशन योजना या पहले से लागू अंशदायी भविष्य निधि में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया। सरकार ने यह भी तय किया कि एक जनवरी 1990 के बाद विश्वविद्यालयों में नियुक्त कर्मियों पर पेंशन योजना ही लागू होगी। इस प्रकार नयों के लिए अंशदायी भविष्य निधि समाप्त कर दी गई। जब अंशदायी भविष्य निधि प्रचलन में थी, तब विश्वविद्यालय को मिलने वाले ब्लॉक अनुदान में भविष्य निधि में नियोक्ता के योगदान की भरपाई सरकार करती थी। इस प्रकार अंशदायी भविष्य निधि का दायित्व सरकार वहन करती थी। इसी आधार पर अंशदायी भविष्य निधि के बदले शुरू की गई पेंशन की आवश्यकताओं को पूरा करना भी सरकार का ही दायित्व बना। राज्य सरकार के उस पत्र में जिसके जरिए विश्वविद्यालयों को पेंशन योजना लागू करने का निर्देश दिया गया उसमें यह उल्लेख कहीं नहीं था कि पेंशन योजना या उसके किसी भाग की पूर्ति की जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की होगी।वर्ष 1993 में जब राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई कि जोधपुर विश्वविद्यालय में पेंशन योजना 1986 से लागू की जाए तो राज्य सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया था कि स्वायत्तशाषी संस्था के वित्त को नियंत्रित करने के लिए राज्य पूरी तरह अधिकृत है। सरकार ने अदालत से यह कह कर कि पेंशन योजना कब से लागू की जाय उसकी कट ऑफ तिथि का औचित्य पूर्णत: आर्थिक है और स्वीकार किया कि यह उसकी जिम्मेदारी है। वास्तव में सरकारी नीतियों ने पेंशन फंड के वर्तमान बुरे हालात बनाए हैं। राजनीति में अपने करीबियों तथा अकुशल कुलपतियों की नियुक्तियों के कारण विश्वविद्यालयों में कुप्रबंधन का लंबा दौर चला है जो आज भी जारी है जिसका खामियाजा सेवानिवृत्त कर्मी भुगत रहे हैं। विश्वविद्यालयों के दो महत्वपूर्ण अधिकारी रजिस्ट्रार और वित्तीय सलाहकार या लेखा अधिकारी होते हैं। वे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सभी विश्वविद्यालय कुलाधिपति के नियंत्रण में होते हैं। विश्वविद्यालयों में यदि वित्तीय कुप्रबंधन हुआ है तो इन सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी कभी तय नहीं की गई।

सरकार विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की कितनी परवाह करती है इसका उदाहरण है कि राजस्थान विश्वविद्यालय पीएफ योगदान के लिए मार्च 1991 में एक संशोधन पारित किया, जिसकी गणना वेतन और डीए को जोड़ कर की जानी थी। किन्तु विश्वविद्यालय और सरकार के बीच लंबे पत्राचार तथा शिक्षक संघ के विभिन्न अभ्यावेदनों के बावजूद सरकार ने संशोधन को अपनी मंजूरी नहीं दी। यह दर्शाता है कि सरकार अपना पल्ला झाडे ही रखना चाहती है। पेंशन को कर्मचारी तथा उसके परिवार के जीवन यापन का कल्याणकारी उपाय माना जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय भी इस मामले में कह चुका है कि राज्य सरकार पूरे मामले पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार करे। परंतु जब सरकारें राजनीति के प्रपंच में फंसी रहे तब ऐसे मुद्दों पर गंभीरता और संवेदनशीलता से विचार होना संभव नहीं होता। लेकिन इस प्रकार के मुद्दे टाले नहीं जा सकते। राज्य विधान सभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। यह वह संवैधानिक मंच है जहां ऐसे मुद्दों पर चर्चाएं होनी चाहिए और किसी नतीजे पर सर्वसम्मत तरीके से पहुंचा जाना चाहिए। एक रास्ता यह सुझाया जा रहा है कि विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन की जिम्मेवारी सीधे राज्य द्वारा उठाने की कानूनी व्यवस्था कर दी जाए। या फिर बजट में अलग से प्रावधान किया जाकर इस समस्या का स्थायी समाधान किया जा सकता है। ऐसा करने से राजकोष पर कोई बड़ा भार नहीं पड़ने वाला है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या के सामने विश्वविद्यालय के कर्मियों की संख्या नगण्य है। परंतु सरकार में सोच यह है कि यदि विश्वविद्यालय के कर्मियों के लिए ऐसा किया जाता है तो अन्य स्वायत्तशाषी अर्धसरकारी उपक्रमों में भी यह मांग उठेगी। तो क्यों मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला जाए। लेकिन लोकतंत्र में निर्वाचित सरकारों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। शासन को आगे बढ़ कर समस्या का सामना ही नहीं करना चाहिए बल्कि कोई सर्वमान्य हल खोज कर विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मियों की मानवीय त्रासदी में संवेदनशीलता से मदद करनी चाहिए। इसके लिए उच्च शिक्षा के बारे में राज्य सरकार को अपना सोच स्पष्ट करना होगा। निर्वाचित प्रतिनिधियों को सचिवालय के वातानुकूलित बंद कमरों से बाहर निकल कर खुली सोच के साथ शिक्षा को लाभ के अन्य उपक्रमों से अलग देखना होगा और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा। तभी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर प्राप्त कर पाएगा।

अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

अजमेर में उर्स मेला

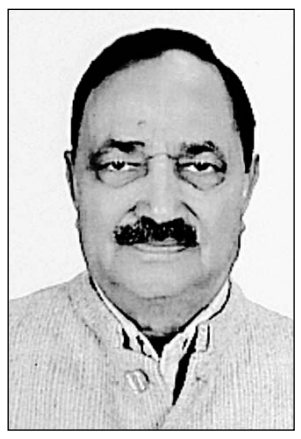

देवीसिंह नरूका

■ सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का सालाना उर्स (पुण्य तिथि) इस्लामिक कलेण्डर के रजब माह की 1 से 6 तारीख तक मनाया जाता है

सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का सालाना उर्स (पुण्य तिथि) इस्लामिक कलेण्डर के रजब माह की 1 से 6 तारीख तक मनाया जाता है। दूर-दूर से देश-विदेश के लोग गरीब नवाज की मजार पर अकीदत के फूल पेश करते खिंचे चले आते हैं। उर्स के दौरान लाखों लोगों के अजमेर में एकत्रित होने से मेले का सा माहौल होता है अत: यह उर्स मेला कहलाता है।

ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती (1143-1233 ई.) 52 वर्ष की उम्र में अजमेर आये। 91 वर्ष की आयु में उनके शरीर का अंत हुआ। ख्वाजा साहब के इंतकाल के बाद कच्ची ईंटों का साधारण मजार बना दिया गया था। करीब 250 वर्ष तक इसमें कोई खास रद्दोबदल नहीं हुआ। सन् 1455 ई. में मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी का अजमेर पर कब्जा हुआ। उस समय पक्का मजार बनवाया गया। सन् 1564 में अजमेर बादशाह अकबर के अधीन आया। इसके पश्चात बादशाह अकबर जहांगीर और शाहजहां के जमाने से अब तक दरगाह क्षेत्र में नये भवनों का निर्माण और रद्दोबदल करवाया जा रहा है।

ख्वाजा साहेब का सालाना उर्स कब से मनाया जाने लगा, इस संबंध में निश्चित रूप से बताना मुश्किल है। ऐसे पहुंचे हुए संत की मजार पर उनके इंतकाल के बाद से ही लोग अकीदत के फूल पेश करते होंगे। बादशाह अकबर के समय से पहले भी दरगाह में वर्तमान समय के रस्म रिवाज किसी न किसी रूप में अवश्य होंगे। इन व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए बादशाह अकबर द्वारा 18 गांव दरगाह की जागीर में दिये गये। कर्मचारी नियुक्त किये और सन् 1569 में शेख मोहम्मद बुखारी को दगाह का मुतवली नियुक्त किया गया। सन् 1570 ई. में बादशाह अकबर द्वारा आगरा से अजमेर तक की पैदल यात्रा से दरगाह की शोहरत खूब फैली। संभवत: बादशाह अकबर के समय से ही उर्स मेला जोर-शोर से भरने लगा।

बादशाह अकबर के उत्तराधिकारी बादशाह जहांगीर 1613 से 1616 ई. तक करीब तीन वर्ष तक अजमेर में रहे। अजमेर प्रवास के दौरान ख्वाजा साहेब के उर्स के बारे में बादशाह ने अपनी जीवनी 'तुजुके जहांगीरी' में लिखा है, "रविवार की रात को ख्वाजा बुजुर्गवार का उर्स था और मैं उनके रोजे मुतबरिक पर गया और वहां आधी रात तक रहा। खादिमों और सूफियों को वज्द हो गया और मैंने अपने हाथ से फकीरों और खादिमों को दौलत बख्शी। कुल खर्च 600 रुपये नकद, 100 कुरते और मोतियों, अम्बर व मूंगों की 70 मालाओं का हुआ।"

बादशाह शाहजहां की बेटी बेगम जहांआरा ने अपनी पुस्तक 'मोनेसुल अरवाह' में अजमेर यात्रा के बारे में लिखा है, "दिल्ली से यहां (अजमेर) आनासागर होते हुए अजमेर शरीफ तक पहुंची। तब हर दो मंजिल पर दो रकात नमाज अदा की.... बड़ी अकीदत के साथ मजारे अकदश पर पहुंची और जब तक यहां रही और रातें यहां गुजारी, तब तक पैर और कमर मजारे अकदश शरीफ की ओर नहीं किये।"

यातायात के वर्तमान साधन न होने के कारण उर्स मेले में भी लोग ऊंट, बैलगाड़ी व घोड़ों आदि से आया करते थे। जनाब अब्दुल कादिर साबिज जंग (1782-1825 ई.) ने अपने संस्मरण में लिखा है कि, 'पुष्कर मेले से भी अधिक पशु अजमेर के उर्स मेले में देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार से संचार के साधन न होने के कारण उर्स मेले की सूचना देने के लिए लोग देश के विभिन्न स्थानों से हाथों में छोटी-बड़ी झंडिया लेकर अजमेर शरीफ की ओर रवाना हो जाते थे। रास्ते में लोगों को सूचित करते, जिससे कुछ लोग उनके साथ और कुछ आगे-पीछे अजमेर के लिए प्रस्थान करते। उर्स मेले के प्रारंभ से एक सप्ताह पहले दरगाह के 75 फीट ऊंचे बुलन्द दरवाजे पर भीलवाड़ा के गौरी परिवार द्वारा लाया गया बड़ा हरा झंडा चढ़ाने की परम्परा है।

उर्स मेले के दौरान दरगाह में कव्वाली की महफिल का समय भी रात्रि 11 से प्रात: चार बजे तक रखा गया। महफिल-ए-समा अथवा कव्वाली के लिए यही आदर्श समय है। सन् 1891 में जनाब वशीरूदौला सर असमान जाह द्वारा महफिलखाने के निर्माण के पहले उर्स के दौरान शामियाना लगाकर कव्वाली की महफिल होती थी। कव्वाली के प्रारंभिक काल में केवल डफ व तालियों के साथ ही कव्वाली गाई जाती थी। बाद में हारमोनियम आदि का भी उपयोग किया जाने लगा। उर्स मेले में अब की तुलना में पहले बहुत कम लोग आते थे। बताया गया है कि सन् 1947-48 में देश के विभाजन के दंगों के समय तो उर्स मेले में केवल इतने लोग थे कि जुम्मे की नजाम दरगाह क्षेत्र में ही अदा कर दी गई। वर्तमान समय में दरगाह को जाने वाली सभी सड़कों पर दूर-दूर तक सड़कों पर बैठकर लोग नमाज अदा करते हैं।

लंगर:– बादशाह अकबर के समय से ही दरगाह में प्रात: व सांयकाल मीठा व नमकीन दलिया तैयार कर बांटा जाता है। इसी प्रकार से खासतौर से उर्स के मौके पर बादशाह अकबर व जहांगीर द्वारा भेंट की गई देगों में चावल, घी, मेवा, मिष्ठान पका कर वितरण की व्यवस्था है। बताया गया है कि पहले मुगल बादशाहों के द्वारा शिकार किये गये जानवरों का मांस पका कर वितरित किया जाता था। बाद में इन देगों के लूटने की परम्परा चल पड़ी। कुछ वर्षों से अब पुन: देगों में पकाये गये तवर्रुक के वितरण की व्यवस्था की गई है। अजमेर मेरवाड़ा के गजेटियर के अनुसार सन् 1901-1902 में लंगर खाने में प्रात: व सांयकाल करीब नौ सौ लोगों को भोजन वितरित किया जाता था। इसका सालाना खर्च 5000 रुपये था। इस्लामी कलेण्डर के शव्वाल माह की 5 तारीख को ख्वाजा साहेब के गुरू ख्वाजा उस्मान हारूनी, 14 रबी प्रथम को ख्वाजा साहेब के शिष्य ख्वाजा कुतुबुद्दीन, 19 रजब को ख्वाजा साहेब की पुत्री बीबी हाफिज जमाल और 19 रजब को अजमेर के तारागढ़ के किले में सैय्यद मीर हुसैन खंगसवार अथवा मीा साहब का उर्स मनाया जाता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अन्य धर्मों में प्राय: जन्मोत्सव मनाने की परम्परा है जैसे– रामनवमी, जन्माष्टमी, बुद्ध जयन्ती, महावीर जयन्ती आदि, किन्तु सूफी मत में उर्स अथवा पुण्य तिथि को अधिक महत्व दिया गया है।

–देवीसिंह नरूका,
वरिष्ठ लेखक व पत्रकार

असुविधाओं से जूझता बृजपुरा का उच्च प्राथमिक विद्यालय

बरसों गुजर जाने के बावजूद नहीं सुधर पाए हालात

बृजपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालक-बालिकाएं खुले में पढ़ने को मजबूर हैं।

चाकसू, (निसं)। सरकार एवं शिक्षा विभाग विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए जगहों की तलाश कर रहा है। लेकिन जहां जगह उपलब्ध है वहां भी विभाग भवन निर्माण कार्य कराने में सक्षम नहीं हो रहा है। कई विद्यालय अपग्रेड हुए कई भवनों का निर्माण हुआ। बावजूद इसके अभी इसकी गुणवत्ता में अधिक सुधार नहीं दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि कहीं विषयगत शिक्षकों की कमी है तो कहीं संसाधनों का घोर अभाव है। इसी के तहत चाकसू उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोथून के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बृजपुरा के हालात भी इसी सूची मैं है जहां कक्षा कक्ष के अभाव में छात्र-छात्राओं को खुले में बैठकर पढ़ाई करवाई जा रही है। बरसों गुजर जाने के बावजूद हालात नहीं सुधर पाए हैं।

■ कक्षा एक से आठवीं तक के बालकों के अध्ययन के लिए मात्र दो कमरे बचे हैं

■ विद्यालय परिसर के चार दीवारी नहीं होने से आवारा पशुओं का जमावड़ा लग जाता है

■ 70 बालक-बालिकाओं के नामांकन के बावजूद यहां लघु शंकालय एवं शौचालय तक उपलब्ध नहीं है

विद्यालय में कक्षा एक से आठवीं तक के बालकों के अध्ययन के लिए मात्र दो कमरे बचे हैं। 70 बालक-बालिकाओं के नामांकन के बावजूद यहां लघु शंकालय एवं शौचालय तक उपलब्ध नहीं है। पीने की पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। साथ ही विद्यालय परिसर के चार दीवारी नहीं होने से आवारा पशुओं का जमावड़ा लग जाता है। जयपुर से मात्र 50 किलोमीटर दूर स्थित राजकीय विद्यालय की यह दशा कितनी दयनीय है देखते ही पता चल जाता है। ग्रामवासियों ने साहस बटोर कर चाकसू प्रधान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर एवं माननीय जिला प्रमुख को विद्यालय में अभावों की जानकारी देते हुए विद्यालय की चारदीवारी, चार कक्षा-कक्षों के निर्माण एवं बालक-बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय निर्माण की मांग की है। मांगपत्र पर प्रधानाचार्य के अलावा वार्ड मेंबर पंच रामनारायण, रामसहाय, रतनलाल सीताराम, रामजीलाल, ओमप्रकाश, अभिषेक, विक्रम, मनोज, गिरिराज व दीपक सहित अन्य ग्रामवासियों के हस्ताक्षर हैं।

वैक्सीनेशन के लिए नाव पर हुए सवार

जान बचानी है तो जान जोखिम में भी डालेंगे ...। नाव में बैठकर लोगों के टीकाकरण के लिए गंतव्य तक पहुंचती चिकित्सा विभाग एवं सेव द चिल्ड्रन की टीम।

बांसवाड़ा, (निसं)। छोटी सरवन ब्लॉक के दूरस्थ एवं आवागमन साधनों से रहित स्थानों पर वैक्सीनेशन टीम ने पहुंचकर लोगों का टीकाकरण किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा सेव द चिल्ड्रन संगठन की ओर से शत प्रतिशत टीकाकरण के लिए प्रयास किये जा रहे हैं जिसके तहत विभाग एवं संगठन की टीम नाव के सहारे कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों को टीका लगाने के लिए दूरस्थ टापरों में पहुंची।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एचएल ताबियार ने बताया कि समन्वित प्रयासों के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं और जिला पूर्ण वैक्सीनेशन जिला बनने के करीब पहुंच चुका है। छोटी सरवन के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गणेश मईडा ने बताया कि सेव द चिल्ड्रन के माध्यम से ब्लॉक में शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन के ठोस प्रयास किये जा रहे हैं एवं नियमित रुप से टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि समीक्षा के बाद पाया गया कि दूरस्थ ईलाकों में अभी भी कुछ लोग वंचित रह गये हैं इस पर विभाग का दल एवं सेव द चिल्ड्रन की टीम ने ऐसे गांवों को चिह्नित करते हुए पहुंच के हर संभव प्रयास किये। डॉ. मईडा एवं उनकी टीम गांव-गांव जाकर वंचित लोगों का टीकाकरण कर रही है। अभियान के माध्यम से 15 से 18 आयु वर्ग के वंचित युवाओं एवं बूस्टर डोज के लिए योग्यता रखने वाले व्यक्तियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सेव द चिल्ड्रन के दिनेश कुमार ने बताया कि कोटडा, झमलिया, ठीकरिया आदि दुर्गम स्थानों पर पहुंचकर वैक्सीनेशन शिविर लगाये गये।

■ 15 से 18 आयु वर्ग के वंचित युवाओं एवं बूस्टर डोज के लिए योग्यता रखने वाले व्यक्तियों का वैक्सीनेशन किया

इस दौरान लोगों को प्रेरित करते हुए परामर्श भी दिया गया। टीम में स्वास्थ्य विभाग से एडोलेसेंट हेल्थ काउंसलर नीता जोशी, सरोज सोनी, मोली एएनएम, आशा एवं सेव द चिल्ड्रन के उमेश डिंडोर, कैसर अजीम, गोवेर्धन, कैलाश, मनोहर तथा वॉलिंटियर्स शामिल रहे।

राशिफल बुधवार 2 फरवरी, 2022

पंडित अनिल शर्मा

माघ मास शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2078, धनिष्ठा नक्षत्र सायं 5:38 तक, वारियान योग रात्रि 11:58 तक, बव करण प्रात: 8:16 तक, चन्द्रमा आज कुमभ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-धनु, बुध-मकर, गुरू-कुम्भ, शुक्र-धनु, शनि-मकर, राहु-वृष, केतु-वृश्चिक राशि में।

आज राजयोग प्रात: 8:32 से सायं 5:53 तक है। आज चन्द्र दर्शन, बुध शृगोन्नति है। आज से गुप्त नवरात्र आरम्भ होंगे। आज श्री वल्लभ जयन्ती, पंचक है। आज द्वितीय तिथि का क्षय हुआ है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत 10:46 से 12:10 तक सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:14 से शाम 4:23 तक।

राहूकाल: दोपहर 04:30 से 6 बजे तक।

मेष

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी।

सिंह

परिवार में आपसी सहयोग बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।

धनु

मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष

व्यावसायिक कार्यों में महत्वपूर्ण सफलता से मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यावसायिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

कन्या

आर्थिक मामलों से संबंधित विवादों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मकर

आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

मिथुन

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धार्मिक कार्यों में आस्था बढ़ेगी।

तुला

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कुंभ

महत्वपूर्ण और अति कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कर्क

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। व्यक्तिगत कारणों से भागदौड़ रहेगी और मन में असंतोष बना रहेगा। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

वृश्चिक

परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन

व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। संभावित धन प्राप्ति में विलम्ब हो सकता है। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है।